

उप निदेशक(रेशम)

मु०-लखनऊ, बहराइच,।

सहायक निदेशक(रेशम)

औरैया, सहारनपुर, महाराजगंज, गोरखपुर, बहराइच, कुशीनगर, वाराणसी,
कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, मेरठ फतेहपुर, सोनभद्र, झांसी, गोण्डा।

आहरण वितरण अधिकारी

मु०-लखनऊ, औरैया, गोरखपुर, बहराइच, वाराणसी, गोण्डा

कानपुर नगर, मेरठ सोनभद्र, झांसी, सहारनपुर, कुशीनगर, फतेहपुर,।

वित्तीय वर्ष २०१७-१८ हेतु प्रावधानित धनराशि रू० २,६७,००,०००.०० (रूपये दो करोड सरसठ लाख मात्र) के सापेक्ष रेशम विकास विभाग के शासनादेश सं०-२०/२०१७/१७३/७४--२-२०१७-१६(ब)/२०१७ दिनांक १८ मई, २०१७ के द्वारा प्रथम पाँच माह हेतु रू० ६५,२१,०००.०० (रूपये पैसठ लाख इक्कीस हजार मात्र) की स्वीकृति जारी की गयी है। अवशेष सात माह हेतु धनराशि रू० २,०१,७९,०००.०० (रू० दो करोड एक लाख उन्नयासी हजार मात्र) की स्वीकृति रेशम विकास विभाग के शासनादेश सं०-३२/२०१७/६४९/७४-२-२०१७-१६ (ब)/२०१७ दिनांक २५ अगस्त, २०१७ के द्वारा अनुदान सं०-१० कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास) के लेखाशीर्षक २८५१-ग्राम तथा लघु उद्योग-१०७-रेशम उत्पादन उद्योग-११-रेशम कीटाणु के विकास की योजना के विभिन्न सुसंगत मानक इकाइयों के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृति धनराशि का आवंटन संलग्नक के अनुसार निम्न शर्तों के अधीन किया जाता है:-


१. उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति/सहमति शासन से अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
२. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुये उसी मद में नियमानुसार व्यय किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृति प्रदान की गयी है।
३. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है तथा मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
४. उक्त स्वीकृति धनराशि का उपयोग सुनिश्चित किया जाए। किसी भी प्रकार के विचलन/दुरुपयोग की स्थिति में संबंधित अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।
५. प्रश्नगत स्वीकृति का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष के आवश्यकताओं हेतु ही सुनिश्चित किया जाए।

6. उक्त स्वीकृति धनराशि का उपयोग किये जाने के पश्चात यदि कोई यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे शासन को 10 मार्च, 2018 तक निश्चित रूप से समर्पित कर दिया जाए।
7. योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग लक्षित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जाये।
8. आवंटित की जा रही धनराशि का भुगतान सम्बन्धित को नियमानुसार उनके बैंक खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से E-payment ही किया जाये।
9. इस योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि से व्यय करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि इस योजना में जिस कार्य हेतु धनराशि आवंटित की गयी है यही कार्य किसी दूसरी योजना की धनराशि से न कराया जाए अर्थात् अन्य योजनाओं से उसी कार्य को उसी स्थान पर डुप्लीकेसी न की जाए।
10. उक्त स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं शासनादेश संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 में दिये गये शर्तों/नियमों के अनुसार किया जायेगा।

उपर्युक्त आवंटित धनराशि का चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान सं0-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास) के लेखाशीर्षक 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग- 107-रेशम उत्पादन उद्योग-11-रेशम कीटाणु के विकास की योजना के नामे डाला जायेगा।

इस आवंटन की प्रविष्टि अनुदान सं0-10 के वर्ष 2017-18 के आवंटन पंजिका के पृष्ठ-05 पर कर ली गई है।


संलग्नक- उपरोक्तानुसार।


 28/08/17
 (अनिल कुमार यादव)
 निदेशक (रेशम)

पत्रांक 028 सेरी0/लेखा/ बजट/2017-18 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि- निम्न संलग्नक सहित सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) 30प्र0, इलाहाबाद।
2. वरिष्ठ आडिट आफिसर(आडिट प्लानिंग), कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन-15-थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी जवाहर भवन-लखनऊ,,औरैया, गोरखपुर, बहराइच, वाराणसी, गोण्डा कानपुर नगर, मेरठ सोनभद्र,झांसी, सहारनपुर, कुशीनगर, फतेहपुर,।
4. उप निदेशक (रेशम), मुख्यालय-लखनऊ।
5. ज्येष्ठ सम्प्रेक्षक, व्यय सहायक, मुख्यालय-लखनऊ।
6. कम्प्यूटर अनुभाग, रेशम निदेशालय 30प्र0 लखनऊ को इस आशय से कि उपरोक्त को वेबसाइट पर अपलोड कर दे।


 (अमितोष श्रीवास्तव)
 वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग(औद्योगिक एवं रेशम विकास)
 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-107-रेशम उत्पादन उद्योग-11-रेशम कोटाण्ड के विकास को योजना
 वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवशेष सात माह हेतु स्वीकृति धनराशि का जनपदवार एवं मंदवार फाँट का विवरण
 (धनराशि रुपये में)

क्र0 स0	आहरण वितरण अधिकारी का पद नाम	जनपद	कोषागार का नाम	मंदवार धनराशि का आवंटन							पूर्व में आवंटित धनराशि	प्रगामी योग
				02-मजदूरी	08-कार्यालय व्यय	09-विद्युत व्यय	29-अनुरक्षण	42-अन्य व्यय	43-सामग्री एवं सम्पत्ति	योग		
1	उप निदेशक, रेशम	चन्दाँली	चाराणसी	79000	0	0	0	5000	302000	386000	167500	553500
2	उप निदेशक, रेशम	मिर्जापुर	चाराणसी	18000	10000	0	0	5000	69000	102000	61000	163000
		योग		97000	10000	0	0	10000	371000	488000	228500	716500
3	सहा0 निदेशक, रेशम	कानपुर नगर	कानपुर नगर	20000	16000	150000	0	12000	92000	290000	222500	512500
4	सहा0 निदेशक, रेशम	कानपुर देहात	कानपुर नगर	12000	0	150000	0	8000	55000	225000	100500	325500
5	सहा0 निदेशक, रेशम	उन्नाव	कानपुर नगर	10000	0	0	0	4000	46000	60000	0	60000
		योग		42000	16000	300000	0	24000	193000	575000	323000	898000
6	सहा0 निदेशक, रेशम	हनुमानपुर	झाँसी	3000	0	0	0	2000	16000	21000	0	21000
7	सहा0 निदेशक, रेशम	जालौन	झाँसी	5000	0	0	0	2000	25000	32000	0	32000
8	सहा0 निदेशक, रेशम	ललितपुर	झाँसी	28000	0	100000	0	6000	107000	241000	90000	331000
		योग		36000	0	100000	0	10000	148000	294000	90000	384000
9	सहा0 निदेशक, रेशम	फतेहपुर	फतेहपुर	16000	16000	43000	0	10000	74000	159000	99500	258500
10	सहा0 निदेशक, रेशम	बहराइच	बहराइच	815000	31000	500000	0	25000	1749000	3120000	1281000	4401000
11	उप निदेशक, रेशम	गोरखपुर	गोरखपुर	312000	16000	180000	0	10000	670000	1188000	656500	1844500
12	सहा0 निदेशक, रेशम	मेरठ	मेरठ	144000	16000	180000	0	8000	309000	657000	440500	1097500
13	सहा0 निदेशक, रेशम	औरंगा	औरंगा	271000	16000	180000	0	10000	583000	1060000	590500	1650500
14	सहा0 निदेशक, रेशम	सोनभद्र	सोनभद्र	192000	16000	100000	0	10000	737000	1055000	326500	1381500
15	सहा0 निदेशक, रेशम	बिजनौर	फतेहपुर	0	0	0	0	0	0	0	19000	19000
16	सहा0 निदेशक, रेशम	गोण्डा	गोण्डा	0	0	0	0	0	0	0	75000	75000
17	सहा0 निदेशक, रेशम	सहारनपुर	मेरठ	0	0	0	0	0	0	0	75000	75000
18	सहा0 निदेशक, रेशम	महाराजगंज	गोरखपुर	0	0	0	0	0	0	0	75000	75000
19	सहा0 निदेशक, रेशम	कुशीनगर	कुशीनगर	0	0	0	0	0	0	0	75000	75000
20	उप निदेशक, रेशम	रेशम निदेशालय, मु0 लखनऊ	जवाहर भवन लखनऊ	0	0	0	583000	0	1100000	11583000	2166000	13749000
		महायोग		1925000	137000	1583000	583000	117000	15834000	20179000	6521000	26700000

(रु0को करोड एक लाख उन्नासी हजार मात्र)

[Signature]
 (अमितोष श्रीवास्तव)

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

तेरह अंकों का कोड नम्बर

2	8	5	1	0	0	1	0	7	1	1	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---